भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2786

दिनांक 15 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीईएम पोर्टल पर विक्रेताओं को भुगतान

2786. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंहः
डॉ. जयंत कुमार राय:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) प्लेस पोर्टल पर माल और सामग्री की खरीद के बदले भुगतान में देरी के संबंध में शिकायतें मिली हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उन खरीददारों का विभाग-बार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्तमान में विक्रेताओं का भुगतान रोक दिया है;
(घ) क्या विलंबित भुगतान से बिक्री करने वाली कंपनियों के पूंजी और निधियों के प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है;
(ङ) यदि हां, तो क्या सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार जीईएम पोर्टल पर विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रावधानों की आवश्यकता है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख): भुगतान में देरी के लिए विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उठाए गए प्रसंगों (शिकायतों) की संख्या का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	जीईएम पर किए गए अनुबंधों की कुल संख्या	भुगतान में देरी के प्रसंगों का प्रतिशत
2018	9,43,336	1.61%
2019	19,43,036	1.57%
2020	22,84,489	0.98%
2021*	18,19,708	0.60%

* 08.12.2021 तक के आंकड़े

(ग): खरीदार, जिन्होंने वर्तमान में विक्रेताओं को भुगतान रोक दिया है, में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के कुछ मंत्रालय एवं विभाग तथा अन्य संगठन शामिल हैं।

(घ): ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ड.) और (च): व्यय विभाग के परामर्श से जीईएम विक्रेताओं को जीईएम अनुबंधों के लिए समय पर भुगतान को समर्थ बनाने के लिए अग्रसक्रिय उपाय कर रहा है।

जीईएम ने भुगतान पद्धति के रूप में जीईएम पूल अकाउंट (जीपीए) को समर्थ बनाया है जिसमें खरीदार को बकाया के भुगतान करने में विफल रहने पर देय होने पर भुगतान स्वचालित रूप से विक्रेता के खातों में अंतरित हो जाता है। खरीदारों को उत्तरोत्तर जीपीए भुगतान पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

व्यय विभाग ने 3 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.6/18/2019-पीपीडी द्वारा जीईएम अनुबंधों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को शीघ्र भुगतान से संबंधित अनुदेश भी जारी किए हैं। खरीदारों में समय पर भुगतान के लिए अधिक अनुशासन लाने के लिए कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज लगाने का भी प्रावधान है (https://assets-bg.gem.gov.in/resources/pdf/prompt-payment.pdf)। कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है कि इस संबंध में एकत्र की गई राशि को जीईएम द्वारा रख-रखाव किए जा रहे खाते में जमा किया जाएगा।

यदि खरीदार समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जीईएम ने अनंतिम रसीद प्रमाणपत्र (पीआरसी) और प्रेषिती रसीद और स्वीकृति प्रमाणपत्र (सीआरएसी) के स्वचालित सृजन का प्रावधान भी शुरू कर दिया है।

उपरोक्त सभी उपायों से खरीदारों में अधिक अनुशासन लाने और विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की आशा है।

*****